"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 100] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 19 मई 2005—वैशाख 29, शक 1927

कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगरीय नियोजन एवं विकास विभाग

क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2004

सूचना

क्रमांक 6436/न.नि.वि./भू-उपयोग.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 (1) के अनुसरण में जांजगीर निवेश क्षेत्र शामिल किये गये ग्रामों के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर का प्रकाशन सूचना क्रमांक 2298/7/न.नि.वि./04 दिनांक 27-7-2004 द्वारा प्रकाशित किया गया था.

अत: एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि संचालक नगर तथा ग्राम निवेश विकास विभाग द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट जांजगीर निवेश क्षेत्र के भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर तदनुसार सम्यक् रूप से दिनांक 1-11-2004 को अंगीकृत किये जाते हैं इस सूचना की प्रति अधिनियम की धारा 15 (4) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है, जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर सम्यक् रूप में तैयार तथा अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

जांजगीर निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर : ग्राम सिवनी तथा सरखों की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व : ग्राम सरखों, खैरा, कुलीपोटा, खोखसा, जर्वे, नवापारा तथा सुकली की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण : ग्राम सुकली तथा खोखरा की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम : ग्राम खोखरा, पुटपुरा, बनारी, कन्हईबंद तथा सिवनी की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र तथा रजिस्टर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि दिनांक 1-11-2004 से 15-11-2004 तक 15 दिवस के लिए निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन छोड़कर खुला रहेगा.

निरीक्षण स्थल—कार्यालय नगरपालिका परिषद्, जांजगीर.

Bilaspur, the 18th October 2004

NOTICE

No. 6436/न.नि.वि./भू-उपयोग.—The existing Land use map and register for the Janjgir Planning Area was published under sub-section (1) of section 15 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973) vide Notice No. 2298/7/U.P.D./04 dated 27-7-2004.

Therefore, a notice is hereby given for general information of the public that the existing Land use maps & registers of Janjgir so prepared and published are duly adopted by the Director, Town and Country Planning under the provision of sub-section (3) of section 15 of the said Adhiniyam and a copy of the notice is also sent for its publication in Chhattisgarh Gazette, under the provision of sub-section (4) of section 15 of the said Adhiniyam, which shall be conclusive evidence of the fact that the above maps and register have been duly prepared and adopted on dated 1-11-2004.

SCHEDULE

JANJGIR PLANNING AREA LIMITS

North : Village Seoni and up to the Northern Limits of village Sarkho.

East : Village Surkho, Khaira, Kulipota, Khokhasa, Jarve, Nawapara and up to the Eastern Limits of village sukuli.

South : Village Sukali and up to the Southern Limits of village Khokhara.

West : Village Khokhara, Putpura, Banari, Kanhaiband and up to the Western Limits of village Seoni.

The said adopted maps and registers shall be available for inspections of general public at following place during office hours for a period of 15 days from the publication of the notice in "Chhattisgarh Gazette" on dated 1-11-2004 to 15-11-2004.

Place of Inspection—Office of the Municipal Council, Janjgir.

हस्ता./-
(जाहिद अली)
प्र. संयुक्त संचालक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.